

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोन:- 230200, 230400 फैक्स:- 07469-230600

वर्ष: 17 संख्या: 179

प्रभात

हिण्डौन सिटी, रविवार 4 मई, 2025

पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

जातिगत जनगणना: मण्डल-कमण्डल सोच का विलय है

पर, इस विलय का क्या अर्थ निकलेगा, यह अभी अनिश्चितता के कोहरे में छिपा है, जिसका आंकलन करना, विशेषकर भाजपा के लिये बहुत मुश्किल है

–श्रीनंद झा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 3 मई। केन्द्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराये जाने का निर्णय लिये जाने के बाद, मंडल और कमंडल मुद्दों के विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसके साथ ही, भाजपा के अन्दर इस बात को लेकर काफी बेचैनी है, क्योंकि पार्टी नेताओं द्वारा पहले जातिगत जनगणना की कड़ी आलोचना की गई थी, इसलिए अब चिंता है कि इस पर राजनैतिक खेल क्या होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर दूसरी-तीसरी पंक्ति के भाजपा नेता, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, पहले जातिगत जनगणना कराने के घोर आलोचक रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ की स्थिति खासतौर बड़ी अजीब हो गई है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में “बंटेंगे तो कटेंगे” का नारा दिया था तथा उनकी मानयता थी कि जातिगत जनगणना तो विपक्षी दलों की रणनीति है, जिससे

■ योगी आदित्यनाथ का नारा रहा है, “बंटेंगे तो कटेंगे”, तो क्या यह नारा निरर्थक हो गया।

■ योगी आदित्यनाथ, “जातिगत जनगणना” का विरोध इसलिए कर रहे थे, क्योंकि उनकी सोच है कि जातिगत जनगणना, विपक्ष की रणनीति है, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए और यह आरक्षण, उनके अनुसार, हिन्दुओं का आरक्षण घटाकर दिया जायेगा।

■ भाजपा में यह भी सोच है कि जाति जनगणना दोधारी तलवार है। एक तरफ तो इस जनगणना ने कांग्रेस व विपक्ष का मुख्य चुनावी मुद्दा उनसे छीन लिया है दूसरी ओर इस निर्णय से भाजपा में भी अंदर ही अंदर काफी बैचैनी है तथा वैचारिक उथल-पुथल है।

हिन्दुओं की कीमत पर, मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जा सके।

केन्द्र सरकार के इस निर्णय के बाद, योगी आदित्यनाथ ने “समग्र सामाजिक- आर्थिक विकास लाने के लिये शुरू की जाने वाली इस कार्यवाही के लिये प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त” निस्संदेह रूप से किया था, लेकिन उसके

बाद उन्होंने पूरी तरह चुप्पी धारण कर ली है। दूसरी तरफ, उनके उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस कदम का स्वागत एवं यशोगान करने के लिये प्रैस कॉन्फ्रेंस-सेज आयोजित किये जा रहे हैं। भाजपा के अन्दर कुछ गुप्तों का मानना है कि जातिगत जनगणना कराने का निर्णय एक दोधारी तलवार है, जिसमें

जहाँ कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रचार के मुख्य आधार को तहस-नहस करने की क्षमता है, वहीं यह भाजपा के अन्दर भूचाल ला सकती है।

इन वर्गों का कहना है कि जातिगत जनगणना हो जाने के बाद, कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों की ओर से माँगों की बाढ़ आ जायेगी।

सरकार ने पहले आरक्षण नीति की समीक्षा करने तथा विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गई जातियों को चिन्हित करने के लिये जस्टिस रोहिणी आयोग गठित किया था। यद्यपि रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जाहिर है, राजनेताओं को यह डर था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से, वह मुद्दा फिर से हावी हो जाएगा, जो अब तक शांत था। भाजपा थिंक टैंक का मानना है कि चौँक अब जातिगत जनगणना करने का निर्णय ले लिया गया है, इसलिये रोहिणी आयोग की सिफारिशें एक स्वाभाविक उप-परिणाम के रूप में सामने आ जायेंगी।

पायलट पति अपनी पायलट पत्नी व बेटी को भरण पोषण भत्ता दे

जयपुर, 3 मई। जयपुर मेट्रो-प्रथम की फैमिली कोर्ट-यूक ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में पायलट पति को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी, जो खुद पायलट है, को 80 हजार रूपय व बेटी को 60 हजार रूपय, अर्थात कुल 1.40 लाख रूपय हर महीने भरण-

■ फैमिली कोर्ट ने पायलट पत्नी को 80 हजार रूपय तथा बेटी को 40 हजार रूपय हर माह भरण पोषण के लिए देने के आदेश दिये।

पोषण की राशि दे। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम भरण पोषण की यह राशि प्रार्थना पत्र दायर करने की तारीख 30 नवंबर 2024 से दो किस्तों में देय होगी और हर महीने की दस तारीख तक देनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश पत्नी के अंतरिम भरण पोषण हेतु दायर प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार जसूजा ने आदेश में कहा कि (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

एक ही मुद्दे पर दुबारा याचिका दायर नहीं कर सकते

जयपुर, 3 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हटाने से जुड़े मामले में पुनः याचिका दायर करने वाले तीन याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए प्रमुख शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश प्रभु दयाल व तीन अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की जानकारी में यह गड़बड़ी

■ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस ली। हाई कोर्ट ने शिक्षा समिति सचिव को कार्यवाही के आदेश दिये।

आने पर उन्होंने याचिका को वापस ले लिया।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) बीएस छाबा ने अदालत को बताया कि याचिका में शामिल याचिकाकर्ता योगेश, भंवर और रामस्वरूप ने पहले ही इस मुद्दे पर एक याचिका पेश की थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष देने को कहा था। तथापि, इस याचिका में पूर्व की याचिका (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

तेजस्वी यादव ने प्र.मंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, जातिगत जनगणना के निर्णय के बाद

पत्र में तेजस्वी ने जुडीशियरी व प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण की मांग की

–डॉ. सतीश मिश्रा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 3 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना से सम्बंधित न्याय को और भड़का दिया और न्यायपालिका व प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने मंडल आयोग की लम्बित सिफारिशों के तुरंत क्रियान्वयन की मांग की और कहा प्राइवेट सैक्टर, ठेकों और न्यायपालिका में जातिगत जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार जाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। “तेजस्वी ने कहा संविधान ऐसे एक्शन का नैतिक और कानूनी आधार देता है।”

तेजस्वी ने कहा, हमारा संविधान नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से निर्देश देता है कि आर्थिक असमानता कम की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि संसाधनों का समान वितरण हो। जब हम

जानेंगे कि कितने नागरिक वॉचिंत समूहों

■ तेजस्वी का तर्क है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सैक्टर, भूमि सब्सिडी, टैक्स रियायतें आदि सरकारी सहायता का लाभ उठाता है। अतः कॉर्पोरेट जगत जो भी नौकरियां देता है या पदोन्नति देता है, उसमें देश की विविधता (कमजोर वर्ग) को भी पूरा लाभ मिलना चाहिये।

■ तेजस्वी ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार में किये गये जातिगत सर्वे में उजागर हुआ कि ओबीसी व इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की संख्या 63 प्रतिशत है बिहार में, इस आंकड़े ने उन कई किंवदंतियों को नेस्तनाबूद कर दिया, जो समाज में यथास्थिति बरकरार करने के लिये फैलायी गई थीं।

■ तेजस्वी के अनुसार, संविधान में प्रावधान है कि समाज में आर्थिक विषमताएं खत्म हों तथा संसाधनों का “इक्विटैबल” वितरण हो। अतः जातिगत जनगणना के बाद, हम दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें सरकारी योजनाओं, आरक्षण आदि का पूरा लाभ दे सकेंगे।

से हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है तब अधिक सटीकता के साथ लक्षित

हस्तक्षेप तैयार किए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र जो सार्वजनिक संसाधनों का प्रमुख

epaper.rashtradoot.com

‘2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 की बालाकोट की एयर स्ट्राइक को दोहराने से लाभ नहीं’

■ रणनीति विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब इन प्रतीकात्मक एक्शन का अभ्यस्त सा हो गया है। अतः इस बार भारत को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक, कूटनीतिक व अन्य भारी सामरिक नुकसान हो।

■ इन विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान तो जरूर हो, पर, ऐसी स्थिति न बने कि पूरा खुला युद्ध आरंभ हो जाए।

अधिक हो सकता है।”

पहलगाम हमला, जिसमें कई भारतीय लोग शहीद हुए, की राजनीतिक और सैन्य हल्कों में व्यापक निंदा हो रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किसी भी अभियान की जानकारी नहीं दी है, सूत्रों का कहना है कि थलसेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों मिलकर समन्वित जवाब की रणनीति बना रही हैं। सूत्रों के अनुसार, पूरा जोर सही समय, सटीकता और इन्ोवेशन पर है।

1971 के भारत-पाक युद्ध में शामिल एक अन्य वॉर वेटरन ने भी नाम नहीं बताते कि शर्त पर यही विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, “2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 के बालाकोट हवाई हमलों को दोहराना अब व्यर्थ है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना अब प्रतीकात्मक जवाबों की आदी हो गई हैं और इनका कोई असर नहीं होता

है। भारत को इस बार पाकिस्तान की कमजोर नस पर वार करना होगा, जहाँ उसे सबसे ज्यादा नुकसान हो, यह आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और गुप्त अभियानों के माध्यम से करना होगा।”

हालांकि आधिकारिक सैन्य तंत्र “वेट एण्ड वॉच” की नीति पर कायम है, लेकिन निहितार्थ यही लगता है कि रणनीतिक धैर्य रखते हुए चुपचाप तैयारी जारी रखी जाए। खुफिया सूत्रों के अनुसार, सीमा पार और जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और खुफिया गतिविधियाँ तेज कर दी गई हैं।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत अपने जवाब में साइबर युद्ध, आर्थिक दबाव और विशिष्ट गोपनीय अभियानों के कॉम्बिनेशन पर विचार कर (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

अंधड़ में जोधपुर डिस्कॉम के 577 पोल गिरे

जैसलमेर के कई गाँव-ढाणियों में लाईट नहीं, डिस्कॉम को एक करोड़ रूपय का नुकसान

जैसलमेर, 3 मई (नि.सं.)। जैसलमेर जिले में गुरुवार की शाम आए अंधड़ ने तबाही मचाई। तेज आंधी से कई गाँव-ढाणियों में बिजली चली गई तथा वितरण एवं प्रसारण निगमों को भी बड़ा नुकसान हुआ है।

एनआईए ने तहुक्कर राणा की आवाज़ और लिखावट के नमून लिए

नयी दिल्ली, 03 मई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट के नमूने शनिवार को लिये। राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

राणा के वकील पीयूष सचदेव ने यहां कहा कि विशेष अदालत के पहले के आदेश के अनुसार, एनआईए ने मुख्यालय में राणा की आवाज का नमूना लिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के समक्ष उसकी लिखावट के नमूने भी एकत्र किये। सोमवार को अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा की

■ गौरतलब है कि हाल ही में विशेष अदालत ने एनआईए को राणा की आवाज़ और हस्तलिपि का सैम्पल लेने की अनुमति दी थी।

एनआईए की हिरासत 12 दिन और बढ़ाकर 09 मई तक कर दी थी, जबकि बुधवार को अदालत ने उसकी आवाज और लिखावट के नमूने प्राप्त करने के लिए एनआईए के आवेदन को स्वीकार कर लिया था।

गौरतलब है कि राणा उन आरोपियों में से एक है, जिसके खिलाफ एनआईए ने 2011 में और मुंबई पुलिस ने 2023 में आरोप पत्र दायर किया था।

एनआईए ने राणा पर 26/11 मुंबई हमलों के लिए एक बड़ी साजिश रचने का आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि मुंबई पुलिस ने मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी मुख्य भूमिका के मद्देनजर (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

–यादवेंद्र शर्मा–
नई दिल्ली, 3 मई। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में सक्रिय और बजरी खनन कर रहीं करीब 5,000 छोटी खानों को राहत दी है, जिन्हें बजरी खनन करनेकेलिए“शॉर्ट-टर्म”परमिट मिला हुआ है और प्रदेश की इन्वायरनमेंट अथॉरिटी की प्राप्ति है।

दरअसल इस मामले के तथ्यों के अनुसार, “नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल” (एन.जी.टी.) ने आदेश दिया था कि बजरी खनन वाली खानों को राज्य के इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (एस.इ.आई.ए.ए.) द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। एन.जी.टी. के इस आदेश से पूर्व कई राज्य सरकारें,

■ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अदालती फैसलों और अपीलों में फंसे करीब 5,000 खान मालिकों को राहत मिली।

■ सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन गतिविधि को अनुमति देने के लिए एस.इ.आई.ए.ए. को जिम्मेदार विभाग मानते हुए एन.जी.टी. के फैसले को सही माना और राज्य सरकार को इस आदेश की पालना करने को कहा।

■ गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार में एस.इ.आई.ए.ए. ने बजरी खनन की अनुमति मांग रही 16-17 हजार खानों में से केवल 4,500-5,000 खानों को ही जाँच करके खनन की अनुमति दी और करीब 2,000 आवेदनों को अस्वीकार किया। बचे हुए आवेदनों पर कोई फैसला नहीं दिया गया, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिला।

■ उल्लेखनीय है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने एस.इ.आई.ए.ए. के सभी सदस्यों की अभी तक नियुक्ति नहीं की है, जिस वजह से बजरी खनन के कई आवेदनों पर फैसला नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एस.इ.आई.ए.ए. और राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने और प्रस्तावों की जाँच करने के लिए दूसरी बार समय दिया।

जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जिला स्तरीय इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी द्वारा बजरी खनन करने की स्वीकृति मुहैया कराया करती थी। परंतु

एन.जी.टी. के समक्ष जर्नहल में दायर याचिकाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि जिला स्तरीय समितियाँ बजरी खानों को खनन की स्वीकृति देने के लिए

किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं हैं और उनके पास ऐसे कोई भी विशेषज्ञ या एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं हैं, जो बजरी खनन के पर्यावरण पर प्रभाव को माप

सकें। इसका अर्थ था कि एन.जी.टी. के समक्ष यह सिद्ध किया गया कि जिला स्तरीय अधिकारी मनमाने तरीके से बजरी खनन की छोटी-बड़ी “लीज़”

लाभार्थी रहा है, सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं से अलग नहीं रह सकता। कांर्पोरेट कम्पनियों को पर्याप्त लाभ मिलता रहा है, रियायती दरों पर जमीन, बिजली पर सब्सिडी, कर छूट, बुनियादी सुविधाएं और विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन।

उन्होंने परिसीमन पर भी चिंता जताई और ओबीसी व ईबीसी के राजनैतिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया, जिन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है उन्होंने कहा विधानसभाओं व संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए।

तेजस्वी ने लिखा कि “कई वर्षों तक आपकी सरकार व एनडीए के घटक दल जातिगत जनगणना को पर्याप्त लाभ मिलता रहा है, रियायती दरों पर जमीन, बिजली पर सब्सिडी, कर छूट, बुनियादी सुविधाएं और विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन।

महिला की हत्या करने वाले युवक को उम्र कैद की सजा

जयपुर, 3 मई। सत्र न्यायालय, महानगर प्रथम ने खो-नागोरियान थाना इलाके में धारदार चाकू से कई बार कर महिला को हत्या करने वाले अभियुक्त गौतम जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रूपय का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त

■ अभियुक्त ने दुकान से चाकू खरीद कर महिला के पेट पर कई गंभीर वार किये थे।

के खिलाफ हत्या का अपराध साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त ने भागन्ती देवी की हत्या करने के आशय से ही दुकान से चाकू खरीदा था और उस चाकू से उसके पेट पर कई बार गंभीर वार किए, ताकि हर स्थिति में उसकी मृत्यु हो सके। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एएन खान ने बताया कि (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK